

आदेश

कार्यवाही विवरण

गोरधन उर्फ गोदूराम बनाम नर्बदा देवी 143/2012

अनुपालना के
क्रमांक एवं
दिनांक

13-05-22

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता को बार-बार रूक-रूक कर न्यायालय समय तक आवाज लगवाई गई। बावजूद आवाज के ना तो वादी उपस्थित आये ना ही वादी अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय हुये। इससे स्पष्ट होता है कि वादी को अपने वाद को चलाने की कोई रुचि नही है। फलवरुप वाद वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।



